न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

अपील संख्या 40/2025

सुरेन्द्र कुमार जैन उम्र 77 वर्ष पुत्र स्व0 श्री पदम चंद जैन, 16/165 घी मण्डी, मदार गेट अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. अरूण कुमार जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जैन
2. श्रीमती रितु जैन पत्नि श्री अरूण कुमार जैन समस्त निवासीगण– ए–44, जतोई दरबार के सामने, नगीना बाग, अजमेर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 08.10.2025 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :–11.02.2026

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) के आदेश दिनांक 08.10.2025, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के समर्थन में पेश दस्तावेजी साक्ष्यो को नजर अन्दाज कर आदेश दिनांक 08.10.2025 को पारित किया गया जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित आये।

रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 सी.आर.पी.सी. (94 बी.एन.एस.एस.) प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति अपीलांट ने प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही सुनवाई हेतु निवेदन किये जाने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलार्थी से जैन हार्डवेयर एवं मिल स्टोर के दस्तावेज एवं इससे सम्बन्धित सन् 2024–25 व 2025–26 की जी.एस.टी. रिपोर्ट/दस्तावेज तलब किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करें। अपीलांट ने निवेदन किया कि उक्त अपील भरण–पोषण से सम्बन्धित है अतः प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने अपील का प्रार्थना पत्र से अवलोकन किया प्रस्तुत अपील धारा–16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश की गई हैं जिसमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 सी.आर.पी.सी. (94 बी.एन.एस.एस) का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उपस्थित उभयपक्ष को मूल अपील पर सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण अधिकरण द्वारा पारित निर्णय अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं तथ्यों के पूर्णतया विपरीत है जो कि प्रथम दृष्टया ही अपास्तनीय है। विद्वान अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी ने निर्णय पारित करते समय अभिलेख पर आई साक्ष्य व दस्तावेजात का ना तो पूर्ण रूप से अवलोकन किया है और ना ही विवेचन किया है। अपीलार्थी पहले अपने परिवार का पालन पोषण अकेला ही वहन करता था, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण का भी समस्त खर्चा वहन किया लेकिन अपीलार्थी की वृद्धावस्था होने के कारण अब वह अपना स्वयं खर्चा व दैनिक कार्य निष्पादित करने में असमर्थ है। यहॉ पर प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी की सेवा सुश्रूषा व अनिवार्य भरण पोषण की व्यवस्था आदि करनी चाहिये थी, लेकिन प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के साथ अमानवीय व्यवहार किया उसके साथ अशोभनीय व अत्यधिक कठोर व्यवहार किया व अपीलार्थी द्वारा स्वः अर्जित स्थाई सम्पत्तियों को स्वेच्छा से अपने बड़े भाई भाभी के साथ बंटवारा कर काबिज हो गये जिसका उल्लेख अपीलार्थी ने अपने उक्त परिवाद में किया है, पर ध्यान नहीं देकर विधि विरूद्व निर्णय पारित कर विद्वान अधिकारी ने केवल मात्र खाना पूर्ति की है। इस कारण उक्त पारित निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने घर में शांति बनाये रखने व रिश्ते खराब होने से बचाने के लिए अपने जीवन काल में अपनी सम्पत्तियों का दोनो पुत्रों द्वारा किये बंटवारे को स्वीकार कर लिया साथ ही अपीलार्थी ने अपनी दुकान को प्रत्यर्थी संख्या 1 को समस्त सामान सहित इस आशय से सुपुर्द कर दिया कि प्रत्यर्थीगण उसकी वृद्वावस्था में ख्याल रखेंगे और उनकी दवाईयां आदि खर्चो को वहन करेंगे लेकिन प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को हर तरीके से मोहताज कर दिया इस तथ्य पर भी माननीय विद्वान अधिकारी ने गौर न कर मनमाना निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी ने अपनी दुकान के संचालन के लिए बैंक से लिमिट ले रखी थी जिसके तहत अपीलार्थी को 30 हजार रूपये प्रतिमाह ब्याज/किश्त चुकानी थी लेकिन अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को उक्त दुकान सुपुर्द करने के साथ ही बैंक की लिमिट भी प्रत्यर्थी संख्या 1 को चुकानी थी लेकिन प्रत्यर्थी उक्त किश्त चुकाने में नाकाम रहा जिसका भार अपीलार्थी पर आ गया इस स्थिति में अपीलार्थी वृद्वावस्था में उक्त ब्याज/किश्त बैंक में कैसे जमा कर सकता है जिस पर माननीय विद्वान अधिकारी ने गौर न कर उक्त अधिनियम का उल्लंघन कर अपीलार्थी पर बैंक ब्याज/किश्त का भार के बारे में अपने निर्णय में कही उल्लेख नहीं किया है इस कारण उक्त पारित निर्णय अपास्तनीय है। अपीलार्थी की दुकान का नाम जैन हार्डवेयर एण्ड मिल स्टोर थी लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 को दुकान सुपुर्द होने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बैंक लिमिट व अन्य जिम्मेदारियों से बचने के लिए उक्त दुकान का नाम अपीलार्थी की जानकारी में लाये बिना व बैंक को सूचित किये बिना ही बदलकर महावीर टूल्स कॉरपोरेशन रख लिया। प्रत्यर्थीगण का उक्त कृत्य पूर्व नियोजित आपराधिक कृत्य है जिस पर विद्वान अधिकारी ने गौर ना फरमाकर उक्त निर्णय पारित किया जो अपास्तनीय है। अपीलार्थी ने प्रर्थीगण को अलग से रहने की स्थाई व्यवस्था उपलब्ध कराई के बावजूद इसके प्रत्यर्थीगण येन–केन अपीलार्थी को हैरान परेशान कर, देय बकाया 25,00,000/– रूपये व उसकी समस्त सम्पत्ति को हड़पना चाहते है और इस कारण प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई खर्चा व दवाईयां आदि की व्यवस्था नहीं की जिस पर माननीय विद्वान अधिकारी ने गौर कर अहम त्रुटि कारित की है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के साथ की जा रही क्रूरता से परेशान होकर अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता जितेन्द्र

जिला कलक्टर
अजमेर

गौड़ के माध्यम से एक विधिक सूचना पत्र प्रेषित कर प्रत्यर्थीगण के हक में किये गये इकरारनामा व दोनो मुख्त्यारनाम आम (पॉवर ऑफ एर्टोनी) को निरस्त किया जिस पर माननीय विद्वान अधिकारी ने गौर ना फरमाकर मनमाना व त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी ने परेशान होकर प्रत्यर्थीगण के विरूद्व उक्त परिवाद श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रत्यर्थीगण से अपनी सम्पत्ति वापस लेने, सुरक्षा, आवश्यक विधिक खर्चो व अपने भरण पोषण हेतु 40,000/– रूपये की मांग की जिस पर माननीय विद्वान अधिकारी ने मनमाना निर्णय पारित कर अहम त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण अपने को किसी दण्ड से बचाने के लिए अपीलार्थी को अपने साथ रखने के लिए तैयार है व अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण स्वयं 10,000/– रूपये अदा करने का तथ्य अंकित किया है जिस माननीय विद्वान अधिकारी ने गौर ना केवल मात्र 5,000/–रूपये अपीलार्थी को अदा करने का निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय से अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रार्थना कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर यह अपील स्वीकार करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व पारित निर्णय अपास्त किये जाकर अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित राशि व अनुतोष प्रदान करने की कृपा करे।

रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.10.2025 प्रकरण संख्या 16/2024 प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यो के आधार पर सही मानते हुए लिया गया है। दोनो पक्षो को पूर्ण रूप से अंतिम बहस में सुनने पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा न्यायिक सिद्वान्तो के अनुसार निर्णय पारित किया गया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को सेवा सुश्रुषा की गई है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पिता के प्रति समस्त दायित्वो का निर्वाहन किया है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 श्रीमती रितु द्वारा भी अपीलार्थी/ससुर जी का पूर्ण रूप मान सम्मान करती रही है तथा अपने पिता के समान ही ससुर जी की सेवा श्रुषा करती रही है तथा प्रत्यर्थीगण आज भी अपीलार्थी को अपने साथ रख कर समस्त अधिकार दायित्वो का निर्वाहन करते को तैयार व तत्पर है। अपीलार्थी द्वारा जिन स्वयं अर्जित संपत्तियों का दोनो पुत्रो द्वारा स्वयं बंटवारा करने का आरोप लगाया जा रहा है वह पूर्णतया मिथ्यापूर्ण है। अपीलार्थी के दोनो पुत्रो द्वारा जिन सम्पत्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें प्रत्यर्थीगण एवं अपीलार्थी के बडे पुत्र द्वारा स्वयं अर्जित खरीद संपत्तियों को विवरण है। अपीलार्थी द्वारा हस्तांतरित कोई संपत्ति उसमें नहीं जोडी गई है जिसका इकरारनामा मय दस्तावेज में अपीलार्थी स्वयं, गवाहन उपस्थित रहे है। बैंक लिमिट अपीलार्थी द्वारा स्वयं की दुकान जैन हार्डवेयर एण्ड मिल स्टोर पर लिया गया है जो आज दिनांक तक भी अपीलार्थी के पास है ओर अपीलार्थी द्वारा स्वयं उसमें व्यापार किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण पर 25,00,000/– रूपये व उसकी संपत्ति हडपने के झूठे मिथ्या आरोप लगाये है। अपीलार्थी बडे पुत्र व उसकी पुत्र वधु ने एक राय होकर प्रत्यर्थीगण के साथ धोखाधडी की नियत विधिक नोटिस प्रेषित करे इकरानामा व दोनो मुख्त्यारनामा आम (पावर ऑफ एर्टोनी) को निरस्त किया है। अतः अपील खारिज फरमावे।

जिला कलक्टर
अजमेर

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। अपीलांट/प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 16/2024 बउनवान सुरेन्द्र कुमार जैन बनाम अरूण कुमार जैन व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 4 व 5 सपठित धारा 23 व 24 माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर जवाब में 10,000/– रूपये भरण–पोषण की राशि अपीलांट को अदा करने करने का तथ्य स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावे। अपील के साथ सलंग्न दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त आदेश दिनांक 08.10.2025 पारित किया गया है, जो कि विधि सम्वत् एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 01 श्री अरूण कुमार जैन को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपीलांट श्री सुरेन्द्र कुमार जैन को वास्ते भरण–पोषण राशि 10,000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) अपीलांट के बैंक खाते में जमा करायेंगे। अपीलांट श्री सुरेन्द्र कुमार जैन अपने बैंक खाते का विवरण अविलम्ब प्रत्यर्थी संख्या 01 श्री अरूण जैन को उपलब्ध करायेंगे। रेस्पोडेन्ट को इस आदेश से निर्देशित किया जाता है अपीलांट से किसी प्रकार का लडाई–झगड़ा नहीं करें, व अपने पिता की देखभाल करे, अपीलांट के प्रति अच्छा व्यवहार करे इस आशय की लिखित अण्डर टेकिंग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर हाजा न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करावें, आदेश की तनिक भी अवहेलना होने पर अधिनियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण, अजमेर